**उत्तर प्रदेश शासन**

**वन अनुभाग-2**

**संख्या-2481/14-2-15-4(4)/2015**

**लखनऊ, दिनांक, 21 दिसम्बर 2015**

## अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- उक्त धारा की उपधारा(1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर,वन बन्दोबस्त अधिकारी बांदा को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | खसरा संख्या | क्षेत्रफल (हे0) | सीमा विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | महोबा | महोबा | महोबा | रतौली | 498 ख मि | 0.300 | उत्तर- खसरा संख्या-586 की सीमा<br>पूर्व- खसरा संख्या-713 की सीमा<br>दक्षिण- आरक्षित वन की सीमा<br>पश्चिम- आरक्षित वन की सीमा |
| | | | | **योग** | **1 किता** | **0.300** | |

**आज्ञा से,**

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in